

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013पार्ट

जयपुर, दिनांक: 21.12.2018

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत जिला परिषद एवं पंचायती समिति सदस्यों के उपचुनाव (संलग्न सूची अनुसार) दिनांक 28.12.2018 (शुक्रवार) को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(डॉ.पी.डी.पारीक) 21/12/18  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण, राजस्थान जयपुर।
8. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 17.12.18 के क्रम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
11. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
12. समस्त संभागीय आयुक्त।
13. समस्त जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी)।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
19. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
20. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव 21/12/18

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.7(2)(10)पंचा/रानिआ/2018/3867

दिनांक 17/12/18

प्रमुख शासन सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
सचिवालय, जयपुर।

सामान्य प्रशासन (सू-2) विभाग,  
सचिवालय, जयपुर  
प्राप्ति सं. 3850  
दिनांक: 19/12/18

विषय:- जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव के स्थगित मतदान की नवीन तिथि की घोषणा - मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए स्थगित किए गए उप चुनाव के लिए मतदान एवं मतगणना हेतु नवीन तिथि की घोषणा की जा चुकी है। नवीन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 28.12.2018 को होगा।

जिन स्थानों पर उप चुनाव हेतु मतदान होना है, उनकी सूची निम्नानुसार है-

क्रमांक	जिले का नाम	जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	पंचायत समिति में	
			पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक
1.	अलवर	12	-	-
2.	भीलवाड़ा	-	माण्डलगढ़	6
3.	चूरु	-	बीदासर	9
4.	दौसा	-	लवाण	5
5.	धौलपुर	-	बाड़ी	9
6.		-	बाड़ी	13
7.		-	बाड़ी	18
8.	कोटा	-	लाड़पुरा	14
9.	नागौर	-	मेडता	2
10.	पाली	-	जैतारण	4
11.	सीकर	-	पिपराली	19

अतः दिनांक 28.12.2018 को मतदान दिवस पर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर मूथा) 17-12-18

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक 17/12/18

17-12-2018

(सुनील दत्तात्रेय)

सहायक सचिव

क्रमांक: एफ.7(2)(10)पंचा/रानिआ/2018/3868

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर, भीलवाड़ा, चूरु, दौसा, धौलपुर, कोटा, नागौर, पाली एवं सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

श्री लोवकाय  
19/12/18